



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 543 / 12-1

देहरादून,

दिनांक 11 अगस्त, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (झाझरा के पास) दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी 0.000 से किमी 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय के पत्रांक-101, दिनांक 20.07.2023 एवं महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून) का पत्रांक- NHA/PIU-VSNT-VHR/33011/JHRA-ASHR/Forest/2021/5127 दिनांक-09.08.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था ने अपने पत्रांक-5130, दिनांक 10.08.2023 को इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू-वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पांवटा साहिब-बल्लुपूर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 12 कि०मी० में से 6.71 कि०मी० भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास के 4507 वृक्ष भी सम्मिलित हैं) प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाम भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं।	इस परियोजना से कुल 6574 पेड़ प्रभावित हैं जिनमें से 2118 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 4456 होगी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रारम्भ में भा०रा०रा०प्रा० द्वारा 3 संरक्षण की डी०पी०आर० स्टडी के पश्चात यह संरक्षण भा०रा०रा०प्रा० की भूमि अधिग्रहण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 20.07.2023 को दिये गये ई०डी०एस० के अनुपालन में, भा०रा०रा०प्रा० के डी०पी०आर० कनसलटेन्ट द्वारा उन्नत संरचना (Elevated Structure) तथा टनल के संबंध में भी अध्ययन किया गया तथा यह बताया गया कि ऐलिवेटेड कोरिडोर बनाने पर भी कटने वाले वृक्षों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी तथा टनल का निर्माण इस क्षेत्र के ढलान, असमान ऊंचाई एवं अत्यधिक वृक्षों के कारण सम्भव नहीं होगा।

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरांत यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत

6.71 कि०मी० के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जो कि अत्यधिक है। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा० पी०आई०यू०-वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/एलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निम्न सूचना भी अपने पत्र के साथ संलग्नकों के साथ दी गयी हैं:-

साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 03.04.2021 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त में इस परियोजना के संरक्षण पर सहमति प्रदान की गयी थी। (संलग्नक-01)

संरक्षण का वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है एवं वृक्षों की संख्या कम करने के लिए पूर्व में कई बार अध्ययन करते हुए संरक्षण को तैयार किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैं:-

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रांक क्रमांक 978/12-1 दिनांक 15.04.2021 द्वारा वन विभाग एवं भा०रा०रा०प्रा० के प्रतिनिधियों के साथ इन संरक्षण एवं वृक्ष सत्यापन के संबंध में दिनांक 22.04.2021 से 24.04.2021 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात् रेंजर, आशारोड़ी के पत्र दिनांक 27.05.2021 एवं भा०रा०रा०प्रा० के पत्रांक 704 दिनांक 29.06.2021 के क्र में वन कंपार्टमेंटों की पहचान हेतु वन सर्वेक्षक के साथ दिनांक 30.06.2021 को भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-02)

उपरोक्त के क्रम में मा० अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02.06.2021 को दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षक, शिवालिक, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी कालसी और प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी आदि की उपस्थिति में संरक्षण की जांच हेतु दिनांक 24.06.2021 को वन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-3A)

संयुक्त स्थल निरीक्षण नोट दिनांक 24.06.2021 के पैरा 2 के अनुसार संरक्षण में वृक्षों की कटान की संख्या को कम करने के लिए 03.10.2021 को वन अधिकारियों और भा०रा०रा०प्रा० प्रतिनिधियों के साथ एस०डी०ओ० देहरादून, की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में कमी संभव नहीं है। (संलग्नक-3B)

पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्र क्रमांक 311/12-1 दिनांक 23.07.2022 के अन्तर्गत वन प्रस्ताव में छोटे पौधे (Saplings) आदि को सम्मिलित करने हेतु दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-04)

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ने पूर्व में ही अपने पत्र संख्या के माध्यम से उपरोक्त परियोजना संरेखण के लिए अपने पत्र सं0 455 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से अपने सहमति जारी की गयी है। (संलग्नक-5)

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति अग्रसारित करना चाहें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0-वसन्त विहार, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। Project Implementation Unit-Vasant Vihar

मकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-VSNT-VHR/33011/JHRA-ASHR /Forest /2021/5127

Dt.09.08.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग

जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के सम्बन्ध में- ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में।

संदर्भ: 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 20.07.2023
2. डी०पी०आर० कनसलटेन्ट मै० योंगमा इन्जी० कं० लि० का पत्रांक 3107002 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 20.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित है एवं आपके कार्यालय द्वारा विषयगत परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में लगाये गये ई०डी०एस० के निस्तारण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत प्रकरणों में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

Sl. No.	Observations	Compliance
1	परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा, पी०आई०यू० - वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे से पांवटा साहिब - बल्लूपुर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 12 कि०मी० में से 6.71 कि०मी० भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास के 4057 वृक्ष भी सम्मिलित हैं) प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं।	इस परियोजना से कुल 6574 पेड़ प्रभावित हैं जिनमें से 2118 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 4456 होगी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रारम्भ में भा०रा०रा०प्रा० द्वारा 3 संरक्षण की डी०पी०आर० स्टडी के पश्चात यह संरक्षण भा०रा०रा०प्रा० की भूमि अधिग्रहण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। दिनांक 20.07.2023 को दिये गये ई०डी०एस० के अनुपालन में, भा०रा०रा०प्रा० के डी०पी०आर० कनसलटेन्ट द्वारा उन्नत संरचना (Elevated Structure) तथा टनल के संबंध में भी अध्ययन किया गया तथा यह बताया गया कि ऐलिवेटेड कोरिडोर बनाने पर भी कटने वाले वृक्षों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी तथा टनल का निर्माण इस क्षेत्र के ढलान, असमान ऊंचाई एवं अत्यधिक वृक्षों के कारण सम्भव नहीं होगा।

क्रमशः ...2

प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत 6.71 कि० मी० के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जो कि अत्यधिक है। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू० - वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/एलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।	
---	--

साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 03.04.2021 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त में इस परियोजना के संरक्षण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी थी। (संलग्नक-1)

संरक्षण का वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है एवं वृक्षों की संख्या कम करने के लिए पूर्व में कई बार अध्ययन करते हुए संरक्षण को तैयार किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रांक क्रमांक 978/12-1 दिनांक 15.04.2021 द्वारा वन विभाग एवं भा०रा०रा०प्रा० के प्रतिनिधियों के साथ वन संरक्षण एवं वृक्ष सत्यापन के संबंध में दिनांक 22.04.2021 से 24.04.2021 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात रेंजर, आशारोड़ी के पत्र दिनांक 27.05.2021 एवं भा०रा०रा०प्रा० के पत्रांक 704 दिनांक 29.06.2021 के क्रम में वन कंपार्टमेंटों की पहचान हेतु वन सर्वेक्षक के साथ दिनांक 30.06.2021 को भी संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-2)

उपरोक्त के क्रम में, माननीय अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 02.06.2021 को दिये गये निर्देशानुसार वन संरक्षक, शिवालिक, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी कालसी और प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी आदि की उपस्थिति में संरक्षण की जांच हेतु दिनांक 24.06.2021 को वन स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-3A)

संयुक्त स्थल निरीक्षण नोट दिनांक 24.06.2021 के पैरा 2 के अनुसार संरक्षण में वृक्षों की कटान की संख्या को कम करने के लिए 03.10.2021 को वन अधिकारियों और भा०रा०रा०प्रा० प्रतिनिधियों के साथ एसडीओ, देहरादून की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में कमी संभव नहीं है। (संलग्नक-3 B)

पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्र क्रमांक. 311/12-1 दिनांक 23.07.2022 के अन्तर्गत वन प्रस्ताव में छोटे पौधे (Saplings) आदि को सम्मिलित करने हेतु दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 तक संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक-4)

B

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड ने पूर्व में ही अपने पत्र संख्या के माध्यम से उपरोक्त परियोजना संरेखण के लिए अपने पत्र सं० 455 दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से अपनी सहमति जारी की गयी है। (संलग्नक-5)

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(पंकज कुमार मौर्य)
महाप्रबन्धक (तक०) सह परियोजना निदेशक
प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून - सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून - सूचनार्थ प्रेषित।
3. टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जी० कं० प्रा० लि० - को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

पौन्टा साहिब-बल्लूपुर, नन्दा की चौकी-डुंगा-मसूरी एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी (देहरादून बाईपास/रिंग रोड) तथा भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग के संरेखण के संबंध में मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के सम्मुख दिनांक 11.11.2020 को प्रातः 9:30 बजे प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित थे:-

1. श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर०के० सुधांशु, सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सुशील कुमार, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, देहरादून।
6. श्री डी०जे०के० शर्मा, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड।
7. श्री पी०के० पात्रो, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून।
8. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून।
9. श्री एस०के० बिरला, मुख्य अभियन्ता, रा०मा०, लो०नि०वि०, देहरादून।
10. श्री ओ०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला।
11. श्री सी०के० सिन्हा, क्षेत्रीय अधिकारी-उत्तराखण्ड, भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
12. श्री पंकज मौर्य, महाप्रबन्धक (तक०), क्षेत्रीय कार्यालय-भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
13. श्री प्रशान्त मीना, उप प्रबन्धक (तक०), क्षेत्रीय कार्यालय-भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
14. श्री शैलेन्द्र सिंह दांगी, स्थल अभियन्ता, भा०रा०रा०प्रा०, परियोजना का०ई०-देहरादून।
15. श्री आ०एस० शर्मा एवं DPR परामर्शदाता मै० योंग्मा इन्जी० को० प्रा०लि०, गुरुग्राम।
16. श्री रोहित रंजन, DPR परामर्शदाता मै० योंग्मा इन्जी० को० प्रा०लि०, गुरुग्राम।

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए यह अवगत कराया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 03 मार्गों (पौन्टा साहिब-बल्लूपुर एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी, नन्दा की चौकी-डुंगा-मसूरी एवं तथा भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

2- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Power Point Presentaion के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित मार्गों में वन भूमि (Forest land), आवासीय भवन एवं जन उपयोगिता के दृष्टिगत हुए विचार-विमर्शोपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

(i) पौन्टा साहिब (हिमाचल प्रदेश)-बल्लूपुर (देहरादून) एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत संरेखण (alignment) पर सहमति प्रदान

- (iv) उक्त के अतिरिक्त बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून ने यह भी अनुरोध किया कि राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण से पूर्व कार्य हेतु सहायता प्रदान की जाय, जिस पर मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही-राजस्व विभाग/वन विभाग/लोक निर्माण विभाग/जिलाधिकारी देहरादून)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-03

संख्या-1450/III(3)/2020-16(एन०एच०)2018
देहरादून : दिनांक 13 नवम्बर, 2020

संख्या-1450/III(3)/2020-16(एन०एच०)2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, रा०मा०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

B

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

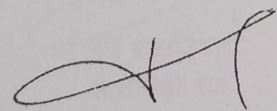
प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 978/12-1 दिनांक 15/04/2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में आज दिनांक 22/04/2021 से 24/04/2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री गुरमीत सिंह एवं श्री मोहन लाल वन दरोगा श्री मो० हुसैन, उप राजिक श्री अशोक कुमार, श्री राजपाल आशारोड़ी रेंज एवं प्रस्तावक विभाग के श्री अगम शर्मा एवं श्री सतीश कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

संयुक्त निरीक्षण में उपरोक्त परियोजना हेतु जिसमें आरकेडिया-1 औसतन 59.044 मी० चौड़ाई और 160 मी० लम्बाई में, आरकेडिया-3 औसतन 36.054 मी० चौड़ाई और 370 मी० लम्बाई में, आरकेडिया-4 औसतन 26.196 मी० चौड़ाई और 148 मी० लम्बाई में, आरकेडिया-3 औसतन 36.054 मी० चौड़ाई और 370 मी० लम्बाई में, लालढाग-1, लालढाग-2, चन्द्रबनी-3 और चन्द्रबनी-2 की औसतन 31.583 मी० चौड़ाई और 5267 मी० लम्बाई में, मोहब्बेवाला वायें, चन्द्रबनी-2 दायें और चन्द्रबनी-1 दायें की औसतन 14.617 मी० चौड़ाई और 600 मी० लम्बाई में, कुल भूमि 20.1784 है० आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है। जिसमें आरकेडिया-3 कक्ष में डिजाइन चैनैज 4.950 से चैनैज 5.100 तक एवं आरकेडिया-4 कक्ष में डिजाइन चैनैज 5.265 से चैनैज 5.413 तक की भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सर्वे की आवश्यकता है।

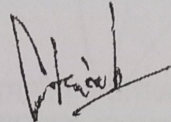
इस चुने गये समरंखण पर औसतन 33.5 मी० चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गयी जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 4408 कुल वृक्ष आरक्षित वन भूमि के परियोजना के निर्माण में प्रभावित होंगे। जिसमें बांज प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है (सूची संलग्न)

चयनित समरंखण वन आशारोड़ी रेंज से गुजरता है।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।



वन क्षेत्राधिकारी
आशारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग
आशारोड़ी
देहरादून वन प्रभाग

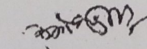


गुरमीत सिंह
आशारोड़ी रेंज



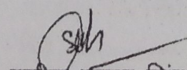
मो० हुसैन
आशारोड़ी रेंज

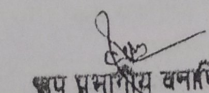
मोहन लाल
आशारोड़ी रेंज


अशोक कुमार
आशारोड़ी रेंज


राजपाल
आशारोड़ी रेंज

परियोजना निर्देशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
इष्टक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
प०क०३०-दिल्ली विभाग (देहरादून)
प्रस्तावक विभाग


सतीश कुमार सिंह
प्रस्तावक विभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून


Team leader
(पीताम्बर सिंह रावैर)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
20-04-21

परियोजना का नाम— उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या एफपी/यूके/रोड/140350/2021

प्रस्ताव की तिथि 01 अप्रैल 2021

हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि कुल क्षेत्रफल 20.1784 हेक्टेयर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 978/12-1 दिनांक 15/04/2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में 22/04/2021 से 24/04/2021 को आशारोड़ी रेंज के वन विभाग के अधिकारियों एवं प्रस्तावक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान आरकेडिया-3 कक्ष में डिजाइन चैनेज 4.950 से चैनेज 5.100 तक एवं आरकेडिया-4 कक्ष में डिजाइन चैनेज 5.265 से चैनेज 5.413 तक की भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण वन क्षेत्राधिकारी के पत्र दिनांक 27/05/2021 एवं प्रस्तावक विभाग के कार्यालय पत्रांक 704 दिनांक 29/06/2021 द्वारा सर्वे की आवश्यकता जताई थी।

उपर्युक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर: श्री पाण्डेजी, सर्वेयर, वन दरोगा श्री राजपाल वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 30/06/2021 को उक्त जमीन का मौका मौयाना किया गया और पाया गया कि आरकेडिया-3 कक्ष में डिजाइन चैनेज 4.950 से चैनेज 5.010 तक ही वन विभाग की जमीन है एवं आरकेडिया-4 कक्ष में डिजाइन चैनेज 5.265 से चैनेज 5.413 तक कोई वन विभाग की जमीन नहीं है यह जमीन नगर निगम देहरादून के आधिपत्य में है।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

वन क्षेत्राधिकारी

आशारोड़ी रेंज

देहरादून वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी

आशारोड़ी रेंज

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग

देहरादून

बी०के० पाण्डे

सर्वेयर

देहरादून वन प्रभाग

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

प०क०ई०-वरान्त विहार (देहरादून)

अगम शर्मा

प्रस्तावक विभाग

(पीताम्बर सिंह राठौर)

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र.....

राजपाल

वन दरोगा

आशारोड़ी रेंज

सतीशकुमार सिंह

प्रस्तावक विभाग

प्रभागीय वनाधिकारी

क्रि०

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

अतिरिक्त प्रभार

20/09/21

स. नि.

Team Leader

कार्यालय - वन क्षेत्राधिकारी, आसारोड़ी रेंज

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

द्वारा - उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून।

विषय:-उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) कोदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आसारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़नेवाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में - बाधक वृक्षों की कक्ष वार सूची।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बावत आसारोड़ी रेंज के अन्तर्गत बाधक वृक्षों की कक्ष वार सूची निम्न प्रकार है-

क्र०स०	कक्ष का नाम	बाधक वृक्षों की संख्या	सड़क के दायीं/वायीं ओर
1	आरकेडिया-1	23 / 18	दायीं/वायीं
2	आरकेडिया-3	35 / 36	दायीं/वायीं
3	आरकेडिया-4	-	-
4	लालढाग-1	13 / 4	दायीं/वायीं
5	लालढाग-2	280 / 238	दायीं/वायीं
6	चन्द्रबनी-3	650 / 651	दायीं/वायीं
7	चन्द्रबनी-2	1105 / 983	दायीं/वायीं
8	मोहब्बेवाला दायें (रा०रा० 72ए)	239	दायीं
9	चन्द्रबनी-2 दायें (रा०रा० 72ए)	41	वायीं
10	चन्द्रबनी-1 दायें (रा०रा० 72ए)	92	वायीं
	योग	4408	

संलग्न: कक्ष वार वृक्षों की सूची।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

भवदीय,
वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग
वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

8

400098 - 3(A)

NHA, Dehradun (Dehradun)	
Received by: <i>[Signature]</i>	
Sl. No. <i>412</i>	
Date: <i>05/07/2021</i>	

दिनांक-24-06-2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित आशारोड़ी-मसूरी बाईपास मोटरमार्ग पर संयुक्त निरीक्षण आख्या

अपर मुख्य सचिव (वन) महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक-02.06.2021 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 24-06-2021 को प्रस्तावित आशारोड़ी से मसूरी तक बाईपास मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

- 1- श्री राजीव धीमान, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।
- 2- श्री श्रीप्रकाश शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू0सं0 वन प्रभाग।
- 3- श्री रोहित पंवार, साईट इन्जीनियर, एन0एच0ए0आई0।
- 4- श्री कमल सिंह, साईट इन्जीनियर, योंगमा कन्सल्टेन्सी।
- 5- श्री बी0बी0 मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून।
- 6- श्री उदयनन्द गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, आशारोड़ी।
- 7- श्री विनोद चौहान, वन क्षेत्राधिकारी, झांझरा।
- 8- श्री महावीर सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, लांघा।

1- प्रस्तावित आशारोड़ी-मसूरी बाईपास मोटरमार्ग के निरीक्षण के प्रारम्भ में NHAI के साईट इंजिनियर श्री रोहित पंवार द्वारा देहरादून-दिल्ली राजमार्ग पर चन्द्रबनी क0सं0 2 में मार्ग के संरक्षण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। NHAI द्वारा प्रस्तावित मार्ग, जो वन भूमि पर 6 कि0मी0 की लम्बाई में निर्मित होगा, देहरादून-दिल्ली राजमार्ग में आशारोड़ी के निकट चन्द्रबनी क0सं0-02 से प्रारम्भ होकर चन्द्रबनी क0सं0 02 के टी-प्वाइंट से गुजरेगा। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि NHAI द्वारा प्रस्तावित मार्ग आशारोड़ी रेंज के विभिन्न वन कक्षों चन्द्रबनी क0सं0-2, चन्द्रबनी क0सं0-3, आरकेडिया क0सं0-1, आरकेडिया क0सं0-3, आरकेडिया क0सं0-4, लालढांग क0सं0-1, लालढांग क0सं0-2 से होकर गुजरेगा। तत्पश्चात् प्रस्तावित मार्ग पुराना मोटर मार्ग, जो लो0नि0वि0 के अधीन है, से होकर आगे बढ़ते हुए ईस्ट होप टाउन के पास मिलेगा। निरीक्षण के दौरान यह तय किया गया कि उक्त संरक्षण का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा किया जायेगा तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या पृथक से प्रस्तुत की जायेगी।

2- उपरोक्त निरीक्षण के पश्चात् चकराता रोड़ से मसूरी कनेक्टिविटी के लिए NHAI द्वारा प्रस्तावित 03 संरक्षणों का निरीक्षण किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है-

2.1 प्रथम प्रस्तावित मार्ग जो कि चकराता रोड़ पर सेलाकुई से प्रारम्भ होकर डूंगा तक जाता है, का निरीक्षण किया गया। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 20 कि0मी0 है। वर्तमान में यह मार्ग पी0डब्लू0डी0 के अन्तर्गत आता है तथा इसके निर्माण में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है परन्तु NHAI द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संरक्षण के दोनों तरफ काफी अधिक संख्या में भवन आदि निर्मित हैं तथा NH के मानकों के अनुसार सड़क की चौड़ाई रखने की दशा में यह मार्ग भवनों के पास से गुजरेगा जिससे भविष्य में दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सड़क संरक्षण में पड़ने वाले भवनों के अधिग्रहण करने में भी कठिनाई आयेगी। इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया

05/07/2021

[Signatures]

गया कि चूंकि उक्त संरक्षण में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है। अतः पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह संरक्षण सबसे उचित प्रतीत होता है। अतः कोई निर्णय लेने से पूर्व NHAI, PWD एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण कर संरक्षण में आने वाली सभी राजकीय व निजी परिसम्पत्तियों की इन्वेन्ट्री कर ली जाय ताकि प्रभावित होने वाले भवनों का स्पष्ट आंकड़ा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त निजी भवन निर्माण में सड़क की तरफ राजकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण किया गया हो तो सर्वेक्षण में उसे भी चिन्हित कर लिया जाय। NHAI द्वारा यह आंकड़ा भी प्रस्तुत किया जाय कि सड़क निर्माण के इस विकल्प पर कितने स्थानों पर सड़क की चौड़ाई NH के मानकों के अनुसार रखने पर निर्मित भवनों व प्रस्तावित सड़क के बीच की NH के मानकों के अनुसार न्यूनतम दूरी संधारित करना सम्भव नहीं होगा।

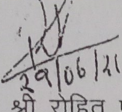
2.2 द्वितीय संरक्षण देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत डूंगा क0सं0-06, डूंगा क0सं0-09 तथा डूंगा क0सं0-05 व कण्डोली क0सं0-07 व कण्डोली क0सं0-08 के अन्तर्गत पड़ता है तथा सुद्धोवाला पुल पर देहरादून-चकराता मार्ग से मिलता है। यह संरक्षण नदी के बहाव के मार्ग के साथ-साथ चलेगा तथा डूंगा गांव के पास मिलेगा जिसकी लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 नदी में तथा शेष 2.5 कि0मी0 (कुल लम्बाई 8.5 कि0मी0) पूर्व निर्मित पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर है। इस संरक्षण पर लगभग 900 वृक्ष प्रभावित होंगे। उक्त संरक्षण में चकराता रोड़ से डूंगा चौराहे तक कुल लम्बाई 8.5 कि0मी0 होने तथा घनी आबादी का कोई क्षेत्र न होने के कारण NHAI द्वारा प्रथम संरक्षण को छोड़ते हुए इस संरक्षण को वरीयता दी गयी है। इस संरक्षण में प्रभावित अधिकांश वृक्ष उस क्षेत्र में स्थित हैं जहाँ नदी का घुमाव है तथा वहाँ घुमाव से बचने के लिए NHAI द्वारा संरक्षण को सीधा रखा गया है। निरीक्षण में पाया गया कि नदी का पाट अधिक है अतः जहाँ घुमाव है वहाँ यदि घुमाव के साथ-साथ सड़क का निर्माण किया जाय तो प्रथम दृष्टया सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक की स्पीड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु इससे अधिक हरे पेड़ों को कटने से बचाया जा सकेगा। अतः यह NHAI व अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग के संरक्षण का पुनरावलोकन किया जाय तथा नदी के घुमाव वाले क्षेत्र का पुनः संरक्षण कर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या को जितना हो सके उतना कम किया जाय। NHAI द्वारा उक्त मार्ग का पुनः संरक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

2.3 तृतीय प्रस्तावित मार्ग जो कि सुद्धोवाला से डूंगा तक निर्मित सड़क का सुधार करते हुए प्रस्तावित है का निरीक्षण किया गया। इस मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण इस मार्ग के निर्माण के औचित्य को सही नहीं मानते हुए सड़क निर्माण के संरक्षण के इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया।

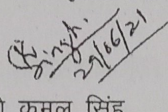
3- डूंगा चौराहे के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी भी निरीक्षण में उपस्थित थे। डूंगा चौराहे से वर्तमान सड़क मार्ग से होते हुये प्रस्तावित संरक्षण का निरीक्षण किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के बकारना क0सं0-1, बकारना क0सं0-2, बकारना क0सं0-3 व बकारना क0सं0-9 से होकर गुजरेगा। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की सीमा समाप्त होने के पश्चात यह प्रस्तावित मार्ग मसूरी वन प्रभाग में प्रवेश करेगा। NHAI व अन्य सदस्यों के साथ प्रस्तावित विभिन्न संरक्षणों पर विचार

विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि NHAI द्वारा उक्त संरेखण का प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की टीम के साथ पुनः विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा वर्तमान संरेखण का पुनरावलोकन कर प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में पृथक से सुविचारित आख्या प्रस्तुत की जायेगी। उक्त मार्ग पर स्थित बकारना के आगे का क्षेत्र मसूरी वन प्रभाग में है, अतः आगे के संरेखण हेतु कार्यवाही मसूरी वन प्रभाग/यमुना वृत्त द्वारा अपेक्षित है।

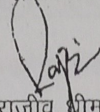
- 4- निरीक्षण के अन्त में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार NHAI द्वारा प्रस्तावित संरेखणों को पुनः तैयार किया जाय तथा उनका तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाय ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम स्तर पर रखी जा सके।


29/06/21

श्री रोहित पंवार


29/06/21

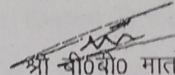
श्री कमल सिंह



श्री राजीव भीमान



श्री श्रीप्रकाश शर्मा



श्री बी०बी० मार्तोलिया

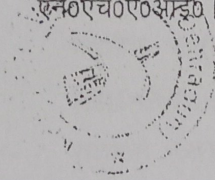
साईट इंजीनियर
एन०एच०ए०आई०

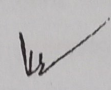
साईट इंजीनियर,
योगमा कन्सल्टेन्सी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वन
प्रभाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून।




वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक

2462/12-1

देहरादून,

दिनांक 29, जून, 2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, एन०एच०ए०आई०, तेग बहादुर रोड, देहरादून।
7. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, 171 फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून।




वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परियोजना का नाम - उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(पुराना 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या एफपी/यूके/रोड/140350/2021

प्रस्ताव की तिथि 01 अप्रैल 2021

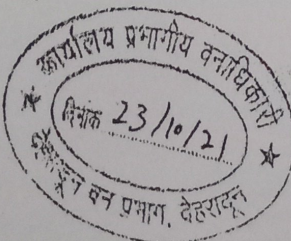
हस्तान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि कुल क्षेत्रफल 20.0849 हेक्टेयर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

कार्यालय, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2462/12-1 देहरादून दिनांक 29/06/2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित आशारोड़ी-मंसूरी बाईपास मोटरमार्ग पर संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 24/06/2021 के पैरा 2 के व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पत्रांक NHAI/PIU-VSNT-VHR/22033/JHRA-ASHAR/Forest (DDM)2021/1175 दिनांक 29/09/2021 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(पुराना 72) (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में आज दिनांक 03/10/2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, वन क्षेत्राधिकारी, आशारोड़ी रेंज, एवं बीट एवं अनुभाग अधिकारी मोहब्बेवाला, चन्द्रबनी, लालदाग, आरकंडिया वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से अगम शर्मा, सतीश कुमार सिंह, अरविन्द पाठक उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में पातन योग्य वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा परियोजना को पूर्व में इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि न्यूनतम वृक्षों का पातन हो। अतः प्रस्तावित परियोजना 4408 वृक्षों के पातन के बिना सम्भव नहीं है एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।



(Agam Sharma)

Aravind Pathak

Kushan Arora
(रीरन आर)
वन वि०
बीट प्रभारी

(अरविन्द सिंह)
वन वि०
बीट प्रभारी

(अरविन्द कुमार सिंह)

वन क्षेत्राधिकारी
आशारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

(राजपाल सिंह)
वन वि०
बीट प्रभारी

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आसारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक-311/12-1 दिनांक 23.07.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आसारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड़ का विकास कि०मी० 0.000 से कि०मी० 12.000 तक निर्माण के संबंध में दिनांक 25.07.2022 से 16.08.2022 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री मु० हुसैन, उप राजिक, श्री राजपाल, वन दरोगा/बी०प्र०, श्री मोहनलाल, वन दरोगा, लक्ष्मी प्रसाद, वन बीट अधिकारी, आसारोड़ी रेंज, प्रस्तावक विभाग के श्री अगम शर्मा एवं श्री अरविन्द पाठक आदि लोग उपस्थित रहे।

संयुक्त निरीक्षण में उपरोक्त परियोजना हेतु जिसमें आरकेडिया-1 औसतन 185 मी० लम्बाई और 60.00 मी० चौड़ाई में, आरकेडिया-3 औसतन 243 मी० लम्बाई और 45 मी० चौड़ाई में, लालढांग-1 बी औसतन 255 मी० लम्बाई और 27.5 मी० चौड़ाई में, लालढांग-2 औसतन 805 मी० लम्बाई और 30.0 मी० चौड़ाई में, चन्द्रबनी-3 औसतन 1720 मी० लम्बाई और 30.0 मी० चौड़ाई में, चन्द्रबनी-2 की औसतन 2589 मी० लम्बाई और 33.5 मी० चौड़ाई में, चन्द्रबनी-1 औसतन 169 मी० लम्बाई और 13.1 मी० चौड़ाई एवं मोहब्बेवाला-1 औसतन 600 मी० लम्बाई और 12.00 चौड़ाई कुल भूमि 20.0849 है० आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है।

विभिन्न प्रजातियों के 4457 कुल वृक्ष आरक्षित वन भूमि के परियोजना के निर्माण में प्रभावित होंगे जिसमें बांज प्रजाति का कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है (सूची संलग्न)

चयनित समरंखण वन आसारोड़ी रेंज से गुजरता है।

अतः उक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित है।

वन क्षेत्राधिकारी
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग।
आसारोड़ी रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

मु० हुसैन
मोहब्बेवाला अनुभाग
आसारोड़ी रेंज।

मोहनलाल
चन्द्रबनी व आरकेडिया अनुभाग
आसारोड़ी रेंज।

(Agam Sharma)

Arvind Pathak
(प्रस्तावक विभाग)

लक्ष्मी प्रसाद
वन बीट अधिकारी

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
प्लॉट नं० 10-एमएन 1444, देहरादून

राजपाल सिंह
व० द०
आरकेडिया बीट

मोहनलाल

8

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाड़रा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण के सम्वन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रा0रा0-72 (झाड़रा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक निर्माण हेतु याचित वन भूमि की राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी 1.2 कि0मी0 सन्निकट आंकलित की गयी है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यरथल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक 6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।


(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

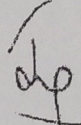
कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

05-राजपुर चौर, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन नं0-0135-2742884 0135-2743201 ई-मेल-svw@up.gov.in

पत्रांक 455 / 12-1 देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
- 2 मै0 योग्मा इन्जीनियरिंग को0 लि0।


(जे0एस0 सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

